

Distt Sonbhadra

FY 18-19

Supportive Supervision Vehicle Hiring District Level Information 2018-19

SN	Name of District	Name of agreement Signing office	Vehicle No 1	Date of Hiring	Vehicle No 2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Sonebhadra	CMO	UP 64 T 8876	1/4/2018	UP 70 CT 7292	1/4/2018	





Supportive Supervision Vehicle Hiring District Level Information 2018-19

SN	Name of Division	Name of District	Name of Block	- Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Mirzapur	Sonebhadra	Babhani	UP 64 AT 0703	1/4/2018	
2	Mirzapur	Sonebhadra	Chatra	UP 70 BJ 0510	1/4/2018	
3	Mirzapur	Sonebhadra	Chopan	UP 64 T 6333	1/4/2018	
4	Mirzapur	Sonebhadra	Duddhi	UP 64 T 5346	1/4/2018	
5	Mirzapur	Sonebhadra	Ghorawal	UP 64 T 8033	1/4/2018	
6	Mirzapur	Sonebhadra	Myorpur	UP 64 Y 9605	1/4/2018	
7	Mirzapur	Sonebhadra	Nagawa	UP 62 AT 5344	1/4/2018	
8	Mirzapur	Sonebhadra	Robertsganj	UP 64 AT 0389	1/4/2018	

**Note:** Running of vehicle will be continued as per old agreement approved in DHS held on 10.03.2018. It Will be continued as per previous rate unless New Tender Process.



  
Chief Medical Officer  
Sonebhadra



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वाहन अनुबन्ध पत्र

अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र, बभनी, सोनभद्र।


प्रथम पक्ष

मेसर्स अशोक इण्टरप्राइजेज पता- महुअरीया दुद्धी सोनभद्र, बुलेरो संख्या- यू०पी० 64 ए०टी० 0703

द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र, बभनी, सोनभद्र उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति कि शासी निकाय कि बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिए गये निर्णय के अर्न्तगत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जाएगा आज दिनांक 01 अप्रैल 2018 का निम्नवत शर्तो के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है।

1. यह कि वाहन एक माह में 2000 किलो मिटर तक चलेगी वाहन का पी०ओ०एल० मेन्टेनेन्स, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा।

  
अधीक्षक  
सा० स्वा० केन्द्र  
बभनी-सोनभद्र

Ashok kumar  
M/s Ashok Enterprises  
Mahuaris, Buthi  
Sonebhadra (U.P.)  
21/1  
Ashok kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AD 141093

₹20

दफा 2. अनुबन्धित वाहन सामान्यता सभी कार्यालय दिवसो पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु पी0ओ0एल0 व चालक सहीत उपस्थित रहेगी। अनुबन्ध वाहन कार्यालय आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा।

दफा 3. वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता कि स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

दफा 4. द्वितीय पक्ष के मासिक किराये के रूप में रू0 29,900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहीत भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाएगा

दफा 5. यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक 12 माह हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बीना किसी पूर्व नोटीस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

दफा 6. यह कि उक्त अवधी के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण सूचना देना अनिवार्य होगा।


अनुबंध की शर्तें → 01/04/2018 से श्रीमंत एंटरप्राइजेज बयान 31/03/2019 तक

प्रथम पक्ष  
अधीक्षक सामुदायिक केंद्र, बभनी, सोनभद्र।

सामु० स्वा० केंद्र  
बभनी-सोनभद्र

द्वितीय पक्ष  
मेसर्स अशोक इण्टरप्राइजेज।  
Ashok Kumar  
M/s Ashok Enterprises  
Mahuanta, Dudhi  
Sonbhadra (U.P.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 791775

**सपोर्टिंग सुपरविजन  
वाहन अनुबन्ध पत्र**

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा सोनभद्र

.....प्रथम पक्ष

मेसर्स न्यू रवि ट्रवेल्स पता-258/114 टैगोर टाउन, इलाहाबाद बोलेरो सं० यू०पी०  
70 बी०जे० 0510

.....द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन प्रभारी चिकित्साधिकारी, चतरा सोनभद्र कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिए गये निर्णय के अन्तर्गत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जायेगा आज दिनांक 01 अप्रैल 2018 को निम्नवत शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है-

1. यह कि वाहन एक माह में 1800 किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी०ओ०एल०, मेंन्टीनेंस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी०ओ०एल० एवं चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।
3. वाहन के ब्रेड डाउन रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय उपायोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

गायत्री



भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 791775

सपोर्टिंग सुपरविजन

वाहन अनुबन्ध पत्र

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा सोनभद्र

.....प्रथम पक्ष

मेसर्स न्यू रवि ट्रवेल्स पता-258/114 टैगोर टाउन, इलाहाबाद बोलेरो सं० यू०पी०  
70 बी०जे० 0510

.....द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन प्रभारी चिकित्साधिकारी, चतरा सोनभद्र कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिए गये निर्णय के अन्तर्गत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जायेगा आज दिनांक 01 अप्रैल 2018 को निम्नवत शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है-

1. यह कि वाहन एक माह में 1800 किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी०ओ०एल०, मेंन्टीनेंस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी०ओ०एल० एवं चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।
3. वाहन के ब्रेड डाउन रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय उपायोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

गायत्री



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES


Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH


BP 791774

4. द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में क्रमशः 30,000/- (तीस हजार रुपया मात्र) एवं 30,000/- (तीस हजार रुपया मात्र) समस्त प्रभारी करों सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा तथा वाहन स्वामी द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने के उपरान्त टोल टैक्स भुगतान रसीद के साथ मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय।
5. यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक अथवा नये टेण्डर होने तक हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
6. यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।



प्रथम पक्ष  
प्रभारी चिकित्साधिकारी  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  
घतरा-सोनभद्र

प्रभारी चिकित्साधिकारी  
के.ए.के.के. घतरा-सोनभद्र



द्वितीय पक्ष  
न्यू रवि ट्रवेल्स  
258/114 टैगोर टाउन,  
इलाहाबाद



श्री. बगल 10/08/18

chopan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सर्पोटिव सुपरविजन

EG 429634

वाहन अनुबन्ध पत्र

अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, चोपन, सोनभद्र

प्रथम पक्ष

मेसर्स मॉ कुण्डवासीनी ट्रेवेल्स पता: पूराना आर0टी0ओ रोड, राबस्टगंज, सोनभद्र। वाहन सं0

यू0पी0 64 टी 6333

द्वितीय पक्ष

यह है कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन अधीक्षक, चोपन, सोनभद्र कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय कि बैठक दिनांक: 27.03.2018 में लिए गए निर्णय के अन्तर्गत पूर्व टेण्डर को नए ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जाएगा। आज दिनांक: 01 अप्रैल 2018 को निम्नवत शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है-

1. यह कि वाहन एक माह में 1800 किमी0 तक चलेगी, वाहन का पी0ओ0एल0, मेन्टीनेंस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अनुबन्धित वाहन सामान्यतयः सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर मे ही खड़ी होगी ताकी कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।
3. वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता की स्थिती में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
4. द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में रू0 29850 (उन्तीस हजार आठ सौ पचास) समस्त प्रभावी करो सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा तथा वाहन स्वामी द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने के उपरोन्त टोल टैक्स भुगतान रशीद के साथ मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय।
5. यह कि अनुबन्ध दिनांक: 01.04.2018 से 31.03.2019 तक अथवा नए टेण्डर होने तक 12 माह हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
6. यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।


प्रथम पक्ष

अधीक्षक, चोपन, सोनभद्र

द्वितीय पक्ष

मॉ कुण्डवासीनी ट्रेवेल्स





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

“सौख्य सुपरिवहन”

DC 095493

वाहन अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र—

प्रथम पक्ष

मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज पता— महुअरीया दुद्वी जनपद सोनभद्र, बोलेरो संख्या— यू0पी0 70 सी0टी0 7292

द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिए गये निर्णय के अर्न्तगत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जायेगा। आज दिनांक 01 अप्रैल 2018 को निम्नवत् शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है—


- 1- यह कि वाहन एक माह में 1800 किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी0ओ0एल0, मेन्टीनेंस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 2- अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।
- 3- वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- 4- द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में ₹0 29,900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा तथा वाहन स्वामी द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने के उपरान्त टोल टैक्स भुगतान रशीद के साथ मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय। (अबमा नये टेण्डर होने तक)
- 5- यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक 12 माह हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
- 6- यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

3. - 2  
प्रथम पक्ष  
मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र।

(2)

Ashok Kumar  
द्वितीय पक्ष  
मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 908170

वाहन अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र—

प्रथम पक्ष

मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज पता— महुअरीया दुद्वी जनपद सोनभद्र, बोलेरो संख्या— यू0पी0 64 टी 8876  
द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिए गये निर्णय के अर्न्तगत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जायेगा। आज दिनांक 01 अप्रैल 2018 को निम्नवत् शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है—


1- यह कि वाहन एक माह में 1800 किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी0ओ0एल0, मेन्टीनेंस, चालक

का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

53. -

Ashok Kumar  
M/s Ashok Enterprises  
Meharaj, Dushi  
Sonbhadra (U.P.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


28AD 423283

- 2- अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।

  
CHIEF MEDICAL OFFICER  
SONEBHADRA

Ashok Kumar  
M/s Ashok Enterprises  
Mahuaria, Dudhi  
Sonebhadra (U.P.)






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AD 423284

3- वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय उपयोग

हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

  
CHIEF MEDICAL OFFICER  
SONEBHADRA

*Ashok Kumar*  
M/s Ashok Enterprises  
Mahuaria, Duchi  
Sonebhadra (U.P.)







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AD 423268

- 4- द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में रू0 29,900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा तथा वाहन स्वामी द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने के उपरान्त टोल टैक्स भुगतान रशीद के साथ मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय।

  
CHIEF MEDICAL OFFICER  
SONEBHADRA

  
M/s Ashok Enterprises  
Mahuarua, Dudhi  
Sonebhadra (U.P.)






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


28AD 423267

- 5- यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक 12 माह हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

  
CHIEF MEDICAL OFFICER  
SONEBHADRA

  
M/s Ashok Enterprises  
Mahuaria, Dudhi  
Sonebhadra (U.P.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AD 423266

6- यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का

सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र।

द्वितीय पक्ष

मेसर्स अशोक इन्टरप्राइजेज

M/s Ashok Enterprises  
Maharaj Ghat  
Sonbhadra (UP)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EG 432598

### अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष— अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुधनी सोनभद्र।

द्वितीय पक्ष — दूबे टूर एण्ड ट्रेवल्स।

पता— रेलवे स्टेशन रोड वार्ड नं० 2, दुधनी सोनभद्र।

मोबाइल नम्बर— 9956034027

### सेवा प्रदाता

जिला स्वास्थ्य समिति कार्यकारी निकाय के दिनांक 27.03.2018 में लिये गये निर्णय के अंतर्गत पूर्ण टेन्डर को नये ई. टेन्डर होने तक पूर्वतः रखा जायेगा आज दिनांक 01.04.2018 को निम्नवत शर्तों के आधार पर तीन गाडियां जो कि पूर्व में संचालित हो रही थी। निम्न शर्तों के आधार पर अनुबंध किया जा रहा है।

1- द्वितीय पक्ष वाहन को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

क- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्य देशानुसार निर्धारित दर (₹ 29900/सेवा कर सहित) उन्तीस हजार नौ सौ पर उपलब्ध करायेगा।

ख- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

➤ वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए।

➤ वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

➤ दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कंपनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगा।

ग- वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस परमिट प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

घ- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।



ड- वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान न करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रु 1000 की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा एवं देय धनराशि से काट लिया जायेगा।

2- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना अति आवश्यक है।

द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा स्वयं अथवा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।

3- द्वितीय पक्ष द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, दुद्धी पर प्रातः 10:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराना होगा। एवं प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह में अधिकतम 1800 कि0मी0 तक राजकीय कार्य(सुपरविजन/बैठक/कार्यशाला) आदि में प्रयोग किया जा सकता है। अन्य समय में सूचना देने पर किसी भी समय वाहन उपलब्ध कराना होगा।

4- द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा माह में रु 29900 (उनतीस हजार नौ सौ रु0 मात्र) समस्त कर सहित प्रतिमाह के दर से भुगतान के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा देयक प्रपत्र(लागबुक) प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

5- अनुबन्ध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।

6- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोष जनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा।

7- द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का विवरण-

1- पंजीकरण संख्या - U.P. 64 T 5346

मॉडल- स्कार्पियो

सवारी क्षमता- 6+1

2- पंजीकरण संख्या - U.P. 64 AT 1642

मॉडल- बोलेरो

सवारी क्षमता- 6+1

3- पंजीकरण संख्या - U.P. 64 AT 1418

मॉडल- बोलेरो

सवारी क्षमता- 6+1




हस्ताक्षर प्रथम पक्ष



अधिकारक दुव्या


सोनभद्र



हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष



Chhobara P.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 770344

वाहन अनुबन्ध पत्र

अधिक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोरावल

प्रथम पक्ष

मेसर्स:-उत्सव ट्रेडर्स पता-लोहाण्डी घोरावल, सोनभद्र। वाहन सं०-U.P 64T 8033

द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन अधिक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोरावल सोनभद्र कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए दिनांक:-30 मार्च 2018 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जायेगा। आज दिनांक:-02 अप्रैल 2018 को निम्नवत् शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है।


1. यह कि वाहन एक माह में 1500 किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पीओएल मेन्टीनेन्स चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारीयों के उपयोग हेतु उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा।



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 770345

3. वाहन के ब्रेकडाउन रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्ध की स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
4. द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में 30000/- (तीस हजार रु०) मात्र समस्त प्रभावी करो सहित भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा। तथा वाहन स्वामी द्वारा टोल टेक्स का भुगतान करने के उपरान्त टोल टेक्स भुगतान रसीद के साथ मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाये।
5. यह कि अनुबन्ध दिनांक 02 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक अथवा नये ई-टेण्डर होने तक प्रभारी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असंतुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
6. यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

प्रथम पक्ष  
अधीक्षक सामुद्रिक  
घोरावल



अधीक्षक  
सामुद्रिक  
घोरावल

अधीक्षक  
सामुद्रिक  
घोरावल

द्वितीय पक्ष  
मेसर्स-उत्सव ट्रेडर्स



myorpur S.S



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AD 141088

वाहन अनुबन्ध पत्र

अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, म्योरपुर सोनभद्र।

प्रथम पक्ष

मेसर्स अशोक इण्टरप्राइजेज पता- महुअरीया दुद्धी सोनभद्र, बुलेरो संख्या- यू0पी0 64 वार्ड 9605

द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, म्योरपुर, सोनभद्र उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति कि शासी निकाय कि बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिए गये निर्णय के अर्न्तगत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्वत रखा जाएगा आज दिनांक 01 अप्रैल 2018 का निम्नवत शर्तो के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है।

दफा 1. यह कि वाहन एक माह में 2000 किलो मिटर तक चलेगी वाहन का पी0ओ0एल0 मेन्टेनेन्स, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा।

Ashok kumar

M/s Ashok Enterprises  
Maharaja, Jhansi  
Ganeshnagar

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ॥२॥

40AD 141087

दफा 2. अनुबन्धित वाहन सामान्यता सभी कार्यालय दिवसो पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु पी0ओ0एल0 व चालक सहीत उपस्थित रहेगी। अनुबन्ध वाहन कार्यालय आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा।

दफा 3. वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपलब्धता कि स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

दफा 4. द्वितीय पक्ष के मासिक किराये के रूप में रू0 29,900.00 (उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) समस्त प्रभावी करों सहीत भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाएगा

Ashok Kumar  
M/s Ashok Enterprises  
Mahua, Dudi  
Sonbhadra (U.P.)  
Ashok Kumar

आधीकृत  
आरु0 एल0 केन्द्र  
धौरपुर, उत्तर

11/3/11

पुन  
A





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

॥३॥


40AD 141090

दफा 5. यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक 12 माह हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बीना किसी पूर्व नोटीस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

दफा 6. यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण सूचना देना अनिवार्य होगा।


प्रथम पक्ष

अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, म्योरपुर, सोनभद्र।

  
अधीक्षक  
सामु0 स्वा0 केन्द्र  
म्योरपुर, सोनभद्र

द्वितीय पक्ष

मेसर्स अशोक इण्टरप्राइजेज।


  
M/s Ashok Enterprises,  
Mahuaria, Buxi  
Sonpachra (U.P.)







S.S. Naqwa,



र प्रदेश UTTAR PRADESH

EG 412237

**वाहन अनुबन्ध पत्र**

अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र नगवां, जनपद सोनभद्र-

प्रथम पक्ष


शताब्दी ट्रवेल्स राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र, बोलरो संख्या- यू0पी0 62 ए0टी0 5344-

द्वितीय पक्ष


यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उपरोक्त वाहन अधोक्षक सामु0स्वा0केन्द्र नगवां कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लेने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शारी निकाय की बैठक दिनांक 02.06.2018 में लिए गये निर्णय के अर्न्तगत पूर्व टेण्डर को नये ई-टेण्डर होने तक पूर्ववत् रखा जायेगा। आज दिनांक 16 जुलाई 2018 को निम्नवत् शर्तों के साथ अनुबन्धित किया जा रहा है-

- 1- यह कि वाहन एक माह में 2000 किलोमीटर तक चलेगी, वाहन का पी0ओ0एल0, मेंटीनेस, चालक का पारिश्रमिक एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 2- अनुबन्धित वाहन सामान्यतया सभी कार्यालय दिवसों पर नियमित रूप से कार्यालय अधिकारियों के उपयोग हेतु मय पी0ओ0एल0 व चालक सहित उपस्थित रहेगी। अनुबन्धित वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ी होगी ताकि कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।
- 3- वाहन के ब्रेकडाउन, रूटीन मरम्मत/कतिपय कारणों से अनुपल्ब्धता की स्थिति में कार्यालय उपयोग हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- 4- द्वितीय पक्ष को मासिक किराये के रूप में रु0 30,000.00 (तीस हजार रुपये मात्र) समस्त प्रभावी करो सहित भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जायेगा तथा वाहन स्वामी द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने के उपरान्त टोल टैक्स भुगतान रसीद के साथ मासिक विल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय।
- 5- यह कि अनुबन्ध दिनांक 01.04.2018 से नये टेण्डर होने तक अथवा 31.03.2019 तक 12 माह हेतु प्रभावी रहेगा। किन्तु अनुबन्ध तिथि के दो माह के अन्दर किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
- 6- यह कि उक्त अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्ति हेतु न्यूनतम एक माह का सकारण लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

  
 प्रथम पक्ष  
 अधीक्षक अधीक्षक नगवां।

  
 द्वितीय पक्ष  
 शताब्दी ट्रवेल्स राबर्टसगंज।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 791777

### अनुबन्ध-पत्र

प्रथम पक्ष- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी- प्रा0स्वा0केन्द्र- ककराही सोनभद्र।

द्वितीय पक्ष- रवि ट्रैवेल्स 258/114 टैगोर टारुन इलाहाबाद।

भारत सरकार के पत्र संख्या- D.O. NO.10[36]2017-NHM-1 दिनांक- 13-03-2018 के सन्दर्भ में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2017-18/2011/IV/12899-75 दिनांक-19-03-2018 के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक- मु0चि0अ0/महत्व0गति0/संचा0/2018-19/1246 दिनांक- 02-04-2018 के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/मुल्यांकन/अनुश्रवण एवं राजकीय कार्यों हेतु द्वितीय पक्ष मेसर्स- रवि ट्रैवेल्स 258/114 टैगोर टारुन इलाहाबाद से वाहन संख्या- यू0पी0 64 ए0टी0 0389 लिए दिनांक-02 अप्रैल 2018 से दिनांक-31 मार्च 2019 अथवा नए ई-टेण्डर होने तक वित्तीय वर्ष 2017-18 के दर एवं शर्त पर अनुबन्ध किया जाता है।

प्रथम पक्ष प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एक चार पहिया टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

- (क) सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन कार्यादेशानुसार निर्धारित दर रू0- 30000/- (समस्त करो सहित प्रतिमाह की दर से) पर उपलब्ध करायेगा।
- (ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।
  - 1- वाहन टैक्सी परमिट के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  - 2- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
  - 3- दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार कि क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्शोरेन्स के तहत मिलेगी।
  - 4- वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
  - 5- वाहन के संचालन एवं रख- रखाव सम्बन्धित समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क,टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।





### उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 791778


- 6- वाहन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराना होगा।
  - 7- वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी, बड़ी टूट-फूट भी 24 घंटे में सुधार कराने या वैकल्पिक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध के शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से अर्ध दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा एवं देय धनराशि से काट लिया जायेगा।
  - 8- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाईल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके।
  - 9- प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी समय सूचना दिये जाने पर द्वितीय पक्ष को वाहन उपलब्ध कराना होगा।
  - 10- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- (ग) सपोर्टिव सुपरविजन वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा माह में अधिकतम 2000 कि०मी० (दो हजार कि०मी०) तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों/राजकीय कार्यों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/मुल्यांकन/अनुश्रवण/बैठक/कार्यशाला इत्यादि हेतु किया जायेगा।
- (घ) द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा रू0 30000.00 (रूपया तीस हजार मात्र) की धनराशि (समस्त करो सहित प्रति माह की दर से) का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लागबुक की प्रमाणित छायाप्रति तथा देयक प्रपत्र अग्रिम माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर अगले 10 दिवस के अन्दर बजट रहने पर सुनिश्चित किया जायेगा।



- (ड0) ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को वाहन से किसी प्रकार नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
- (च) द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं को समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को होगा। शासन/उच्चाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की कटौती का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित होगा।
- (छ) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सेवा सन्तोष जनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है, स्पष्टीकरण का जवाब संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित होगा।
- (ज) वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष का होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्ति नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
- (झ) स्वास्थ्य केन्द्र के अर्न्तगत आने वाले टोल प्लाजा का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा।
- (ञ) द्वितीय पक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष-2017.18 में धरोहर धनराशि के रूप में रोगी कल्याण समिति प्रा0स्वा0केन्द्र ककराही हेतु रू0 15000.00 की धनराशि जमा किया गया है, जो किसी पक्ष के द्वारा 30 दिन की नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करना होगा।
- (ट) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन/प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री/साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
- (ठ) अनुबन्ध की अवधि विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बढ़ाया जा सकता है।
- (ड) अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद सोनभद्र के न्यायालय में होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

स्थान:  
दिनांक:

हस्ताक्षर



द्वितीय पक्ष

नाम-मेसर्स- रवि ट्रेवल्स

पता-258/114 टैगोर टाऊन इलाहाबाद।

हस्ताक्षर



प्रथम पक्ष

प्रभारी चिकित्साधिकारी

प्रा0स्वा0केन्द्र-ककराही

सोनभद्र।

गवाह:

1-.....।

2-.....।